



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1940 (श0)  
(सं0 पटना 65) पटना, शुक्रवार, 18 जनवरी 2019

उद्योग विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2019

सं० 2/उ0नि0/शीर्ष समिति की बैठक/35-01/2017-331—राज्य सरकार राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों की समस्या के प्रभावकारी निदान हेतु कृतसंकल्पित है। फलतः बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम, 19, 2008) की धारा 3 में उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त धारा 3 की उपधारा 3 में निहित प्रावधान के आलोक में एतदसंबंधी पूर्व में निर्गत आदेश को विलोपित करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्यों का नामनिर्देशन किया जाता है:—

(i)	निदेशक, संस्थिक वित्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना;	सदस्य
(ii)	बिहार राज्य पावर (होलिडिंग) कंपनी के प्रतिनिधि;	सदस्य
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि;	सदस्य
(iv)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम;	सदस्य
(v)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम;	सदस्य
(vi)	राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना के प्रतिनिधि;	सदस्य
(vii)	निदेशक, एम0 एस0 एम0 ई0 डी0 आई0, पटना;	सदस्य
(viii)	संयोजक, राज्यस्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति;	सदस्य
(ix)	अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना या उनके प्रतिनिधि;	सदस्य
(x)	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना या उनके प्रतिनिधि;	सदस्य
(xi)	संयुक्त उद्योग निदेशक/ उप उद्योग निदेशक प्रभारी	सदस्य सचिव

2. उक्त समिति बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 की धारा 5 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाइयों की पहचान करेगी एवं उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास पैकेज अनुमोदित करेगी।

3. उक्त समिति पुनर्वास योग्य रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक ईकाइयों के पुनर्वास हेतु तत्समय प्रभावी औद्योगिक नीति के अधीन अनुमान्य रियायतों, विनिर्दिष्ट सुविधाएँ एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु कार्य करेगी।

4. आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर विशेष सदस्यों को आमंत्रित करेगी।

5. समिति की बैठक में भाग लेने हेतु किसी भी सदस्य को कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
के० के० पाठक,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 65-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>